छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 145/2006

श्री नितिन सिंघवी, ... **अपीलार्थी**
एम.आई.जी. 59,
सेक्टर–1, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... **प्रतिअपीलार्थी**
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण
संभाग, लोक निर्माण विभाग, रायपुर
(छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 14 सितम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 05–04–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 10–1–2006 के द्वारा 4 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा लिखित नोटशीट दिनांक 9–8–2005 में पैरा क्रमांक–3 एवं आई.आर.सी. 53 के संबंध में उल्लेख किया गया था कि आई.आर.सी. ने अनुशंसा की है कि मॉडिफाई बिटुमिन के मिक्सिंग एवं रोलिंग का तापमान पारंपरिक बिटुमिन से थोड़ा अधिक होगा। यह भी नोटशीट में लिखा है कि जहां सी.आर.एम.बी. का उपयोग किया जाता है, वहां बाईन्डर का तापमान 170^0सी.से 180^0सी., एग्रीगेड का तापमान 145^0सी. से 165^0सी. होना चाहिए। इससे संबंधित आई. आर.सी. के प्रावधानों की प्रति सहज अपीलार्थी ने 4 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। दिनांक 14–2–2006 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र के सूचना अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से संबंधित है तथा सी.आर.एम.बी. का उपयोग करने से संबंधित मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्र दिनांक 11–8–2005 की प्रति अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5–4–2006 में उल्लेख किया कि जन सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग के द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर नोटशीट तैयार की गई थी। अतः इसी

आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील, अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री के.के.पिपरी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। उन्होंने बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 29–8–2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तथा उनके तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि सी.आर.एम.बी. का उपयोग न करने के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग तथा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा नोटशीट में किया गया था तथा जिस पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा टीप दी गई। वह बिना किसी आधार के है, उसमें उल्लेख किये गये तथ्य का कोई आधार नोटशीट में नहीं बतलाया गया है और न ही अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध ही कराया गया है। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि उसकी नोटशीट में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य अभियंता, योजना के द्वारा सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में सम्मिलित रूप से टीप दी गई थी तथा टीप प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित है। दिनांक 30–8–2006 को अनावेदक के द्वारा जवाब दिया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 29–8–2006 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी विलंब से मिली है अतः अर्थदण्ड किया जावे। अपीलार्थी ने यह भी बताया कि जानकारी के बिन्दु क्रमांक–3 में विस्कोसिटी से संबंधित छायाप्रति प्रदाय करते हुए प्रतिअपीलार्थी ने प्रमाण स्वरूप मांगे गये दस्तावेजों के लिए अन्य कोई कमेन्ट्स नहीं कहते हुए निराकरण किया है। अपीलार्थी का मत है कि उपरोक्त कथन से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता ने बिना किसी आधार के नोटशीट में टीप दर्ज की थी। अपीलार्थी का यह मत है कि जन सूचना अधिकारी को यह जानकारी देना था कि बिना आधार के टीप दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि जन सूचना अधिकारी को मांगे गये दस्तावेजों के संबंध में अपनी ओर से कोई टीप अंकित करने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता। श्री जस्ती सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि दिनांक 9–8–2005 की नोटशीट केवल श्री जस्ती के द्वारा नहीं वरन् सम्मिलित रुप से लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, योजना एवं तत्कालीन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के मुख्य अभियंता के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखी गई थी।

4/ आयोग के द्वारा पूर्व में अपीलार्थी की एक अपील प्रकरण क्रमांक 203/2006 एवं 207/2006 में यह आदेश दिया गया है कि प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग तथ्यों की जाँच करे तथा नोटशीट पर लिखे गये आधार के संबंध में निर्णय ले। यह प्रकरण भी इसी सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिये गये निर्देश इस प्रकरण में भी प्रभावशील होंगे।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में ही टीप तैयार की गई, अतः भ्रमवश उक्त जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से ही संबंधित होना बतलाया गया। इसका उद्देश्य द्वेषवश अथवा जानकारी नहीं दिये जाने का नहीं था। चूंकि जानकारी द्वेषवश अथवा दुर्भावना से विलम्ब से दिया जाना तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं होता है। अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार कर उपरोक्त निर्देशों के सहित अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त